

2023/1026

संख्या 100 9 04 अक्टूबर 2023

रिपोर्ट पटवारी हल्का

श्रीमान जी राजस्व ग्राम - हांसपुर की जमाखान्दी संख्या 2024-23 के खाता सं. 18, 15, 124 में शर्ची आरेदार का नाम किशनलाल पुत्र हणमान दर्ज राजस्व रिपोर्ट में शर्ची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात तथा - भांघार कार्ड, रिपोर्ट मूल निरीक्षक पुत्र

राशनकार्ड आदि में किशनलाल पुत्र हनुमान प्रसाद भंगिरा है अतः राजस्व ग्राम - हांसपुर के खाता सं. 18, 15, 124 में किशनलाल पुत्र हनुमान प्रसाद शुद्ध किया जाना उचित है।

Signature: [Handwritten Signature] Date: 20/06/23  
LR-3  
के. ए. ए. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर

Signature: [Handwritten Signature] Date: 01/06/23  
4.5/105C

श्रीमानजी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं सुंअंकी जांच के ग्राम हांसपुर के खाता सं. 18, 15, 124 में खातेदार का नाम किशनलाल पुत्र हणमान सुंअंकी दर्ज है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं स्लैब दस्तावेजों के आधार पर खातेदार का नाम किशनलाल पुत्र हनुमान प्रसाद प्रस्तुत किया जाना उचित है।

मुताबिक पटवारी (सुंअंकी) रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार (सूअं) श्रीमाधोपुर (सूअं) एवं तहसीलदार की अधिसूचना के अनुसार हांसपुर के खाता सं. 18, 15, 124 में दर्ज किशनलाल पुत्र हणमान के स्थान पर किशनलाल पुत्र हनुमान प्रसाद दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

शिविर प्रवारी अधिकारी  
उपखण्ड के अधिकारी - 2023  
उपखण्ड प्रशासक श्रीमाधोपुर  
पंचायत समिति - श्रीमाधोपुर



तहसीलदार श्रीमाधोपुर को नैतिक लेख है कि नियमावली के अनुसार